

Terms of Reference- Finance Controller
Ministry of Health & Family Welfare
NHM-Finance Division

Name of Division	NHM Finance Division
Reporting to	Director/ DS (NHM-Finance)
Name of Position	Finance Controller (PM-ABHIM)
Number of Positions	One (01)
Location	MoHFW, New Delhi

National Health Systems Resource Centre (NHSRC), New Delhi on behalf of Ministry of Health & Family Welfare (MoHFW) is seeking applications from qualified candidates for the above mentioned post purely on contractual basis.

1. Background

The PM-ABHIM is a Centrally Sponsored Scheme with some Central Sector Components, for implementation of the Atmanirbhar Bharat Package for health sector as announced by Hon'ble Finance Minister in May 2020. The objective of the scheme is to fill critical gaps in health infrastructure, surveillance and health research – spanning both the urban and rural areas and to strengthen the Public Health Infrastructure effectively and to manage and respond any future pandemics and outbreaks.

2. Objective

Finance Controller at the central level is to oversee the funds management under PM-ABHIM & other Centrally sponsored Schemes (as per requirement) to monitor overall financial management including release of funds, expenditure, FMRs, SFPs, unspent balances, Statutory Audit, Concurrent Audit, PFMS, SNA/SNA-SPARSH, Utilization Certificates, field review visits and action taken thereon by the States/UTs.

3. Scope of Work

Key Responsibilities:

- i. To ensure correctness/ compliance of release proposals based on extant guidelines and norms.
- ii. Supervision, monitoring, training and guidance of the team consisting of Finance Analyst, Finance Data Analyst and Finance Assistants for the allocated States/UTs.
- iii. Implementation of SNA/SNA-SPARSH and TSA Hybrid at State/UTs.
- iv. BE/RE formulation and Expenditure Forecasting.
- v. Coordination with development partners, preparation and submission of claims for reimbursement of eligible expenditure.
- vi. Statutory Audit arrangements for States/UTs, monitoring, review, analysis, compliance of Audit and GOI observations and timely submission of Audit Reports to Development Partners.
- vii. Monitoring and implementation of Concurrent Audit of all States/UTs including appointment of Concurrent Auditors, receipt of monthly reports and follow up action thereon.

- viii. Capacity building for State/District/block level finance & accounts staff from time to time in States, NIHFV and other Institutions.

Other Responsibilities:

- i. To oversee release, expenditure and unspent balance for release of funds to States/UTs for all programmes and activities under PM-ABHIM .
- ii. To oversee timely receipt and analysis of FMRs, Statements of Funds Position, matching physical and financial progress of PM-ABHIM programmes for States/UTs.
- iii. To act as a Nodal Officer for all Finance, Accounts and Audit matters and feedback for allocated States/UTs.
- iv. To provide information/data support for Parliament Questions/Committees, RTI, VIP references, CAG & DGACE audits etc.
- v. To monitor financial performance indicators and convergence of financial & accounting processes under PM-ABHIM at state/district /block levels.
- vi. Joint Team Visits to States/UTs for financial management performance review, financial studies and prepare status reports with recommendations for improvement. Participating in JRMs, CRMs and prepare reports with observations and implementation of their recommendations.
- vii. Provide information and data support regarding Parliament Questions/Committees, RTI, Public Grievance, VIP references, CAG & DGACE audits etc. from time to time.
- viii. To implement the Public Finance Management System (PFMS) for funds release under PM-ABHIM.
- ix. Appraisal of Annual PIPs of allocated States, providing draft/final comments to the Nodal Officers and attending deliberations of the NPCC.
- x. To monitor funds transfer from State Treasury to Bank Accounts of State Health Society under PM-ABHIM
- xi. Any other work assigned from time to time.

4. Outputs

Timely action on all tasks and responsibilities and submission of a detailed report to Director/ DS (NHM-Finance) at the end of every quarter of action taken and proposed to be taken.

5. Qualifications and Experience

Essential Qualification:

MBA(Finance)/ CA/ PGDBM(Finance)/ PGDBA(Finance) from a recognized University/ Institute.

Experience of atleast 6 years in social sector, private or government sector in financial management operation, government accounting, funds flow management, utilization

certificates and scheme-wise expenditure reporting in a government setup.

Desirable Qualification:

Experience in Development of accounting packages, system analysis, computer programming etc will be an added advantage. Experience in Data Analytical Tools/Accounting Tools/Softwares with proficiency in Data Analysis. Experience of working on Government PFMS Portal. Efficiency in MS-OFFICE(specially in Excel/Powerpoint).

6. Age

Upto 60 years of age on the last date of submitting application.

7. Travel and subsistence

The consultant should be ready to travel extensively to State/District/Block/village levels. All travels must be authorized in advance by the Director/ DS (NHM-Finance). While travelling, the consultant will receive a fixed per diem allowance for boarding/lodging expenses as per NHSRC rules.

8. Reporting Requirements

The consultant will submit a report to the Director/ DS (NHM-Finance) at the end of every quarter.

9. Consultancy period

Initially, the contract will be for a period upto 31 March, 2027 but likely to be extended, subject to performance and requirement of the Division. The first three months will be on probation basis. Subject to satisfactory performance, the consultancy will continue for the full one year and the contract may further be renewed purely at the discretion of the MoHFW, GOI. The consultancy can, however, be terminated by either party by giving a notice of one month in writing.

10. Remuneration

The consultant will be paid a consolidated monthly remuneration in the fee range of **Rs. 90,000/- – Rs 150,000/- per month** on the basis of qualifications and experience as may be decided by the Joint Selection Board of the GOI and other nominated subject experts, if any. The remuneration shall be decided by the MoHFW Selection/Review Committee on the basis of conditions prevailing at the time of open advertisement for that purpose.

The consultant shall not be entitled to any other benefits such as subsidy, compensation or pension, except as expressly provided in the consultancy agreement. The consultant shall not be exempt from taxation and entitled to reimbursement of any taxes which may be levied as per existing rules on the remuneration received. Consultant's recent CV and evidence of last consultancy payment received should be attached.

How to apply: Candidates are requested to fill in the online application correctly which is available on the NHSRC website (<http://nhsrcindia.org>) Applications will be accepted in the prescribed online application format only. The last date for receiving applications is **10-Nov-2026**.

Written Test Condition:

If the recruitment process includes a written test, a minimum qualifying mark will be 70%.

निर्देश-निबंधन - वित्त नियंत्रक
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
एनएचएम-वित्त प्रभाग

प्रभाग का नाम	एनएचएम वित्त प्रभाग
जिसको रिपोर्ट करना है	निदेशक/उपसचिव (एनएचएम-वित्त)
पद का नाम	वित्त नियंत्रक (पीएम-एबीएचआईएम)
पदों की संख्या	एक (01)
स्थान	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली, उपर्युक्त पद के लिए पूर्णतः संविदा आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

1. पृष्ठभूमि

पीएम-एबीएचआईएम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें कतिपय केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं, जैसा कि मई 2020 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए स्वास्थ्य अवसंरचना, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान में मुख्य कमियों को दूर करना है और जन स्वास्थ्य अवसंरचना का प्रभावी सुदृढीकरण करना तथा भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की महामारियों और प्रकोपों का प्रबंधन और उस संबंध में कार्रवाई करना है।

2. उद्देश्य

केंद्रीय स्तर पर वित्त नियंत्रक का उद्देश्य पीएम-एबीएचआईएम और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं (आवश्यकतानुसार) के अंतर्गत निधियों के प्रबंधन की देखरेख करना तथा समग्र वित्तीय प्रबंधन की निगरानी करना है, जिसमें निधियों का निर्गम, व्यय, एफएमआर, एसएफपी, अव्ययित शेष, वैधानिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, पीएफएमएस, एसएनए/एसएनए-स्पर्श, उपयोगिता प्रमाणपत्र, क्षेत्रीय समीक्षा दौरे और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उन पर की गई कार्रवाई शामिल है।

3. कार्य क्षेत्र

मुख्य जिम्मेदारियाँ:

- i. वर्तमान दिशानिर्देशों और मानदंडों के आधार पर निधि जारी करने संबंधी प्रस्तावों की शुद्धता/अनुपालन सुनिश्चित करना।
- ii. आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्त विश्लेषक, वित्त डेटा विश्लेषक और वित्त सहायकों से बनी टीम की देखरेख, निगरानी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करना।
- iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएनए/एसएनए-स्पर्श और टीएसए हाइब्रिड का कार्यान्वयन।
- iv. बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तैयार करना और व्यय पूर्वानुमान लगाना।
- v. विकास भागीदारों के साथ समन्वय करना, पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावे तैयार करना और उन्हें प्रस्तुत करना।
- vi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा व्यवस्था, लेखापरीक्षा और भारत सरकार की टिप्पणियों की निगरानी, समीक्षा, विश्लेषण, अनुपालन और विकास भागीदारों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।
- vii. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समवर्ती लेखापरीक्षा की निगरानी और कार्यान्वयन, जिसमें समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, मासिक रिपोर्ट प्राप्त करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना भी शामिल है।
- viii. राज्यों, एनआईएचएफडब्ल्यू और अन्य संस्थानों में समय-समय पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के वित्त एवं लेखा कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण।

अन्य जिम्मेदारियाँ:

- i. पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए निधियां निर्गत करना, व्यय और अव्ययित शेष की देखरेख करना।
- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एफएमआर की स्थिति के विवरणों की समय पर प्राप्ति और विश्लेषण और पीएम-एबीएचआईएम कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का मिलान सुनिश्चित करना।
- iii. आवंटित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सभी वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा मामलों और फीडबैक के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- iv. संसदीय प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, वीआईपी संदर्भों, सीएजी और डीजीएसीई ऑडिट आदि के लिए सूचना/डेटा सहायता प्रदान करना।
- v. राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत वित्तीय निष्पादन संकेतकों और वित्तीय एवं लेखा प्रक्रियाओं के अभिसरण की निगरानी करना।
- vi. वित्तीय प्रबंधन निष्पादन की समीक्षा, वित्तीय अध्ययन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का संयुक्त टीम दौरा और सुधार के लिए सिफारिशों के साथ स्थिति रिपोर्ट तैयार करना। जेआरएम, सीआरएम में भाग लेना और उनकी टिप्पणियों तथा सिफारिशों के कार्यान्वयन के साथ रिपोर्ट तैयार करना।
- vii. समय-समय पर संसद के प्रश्नों/समितियों, आरटीआई, लोक शिकायत, वीआईपी संदर्भों, सीएजी और डीजीएसीई ऑडिट आदि के संबंध में जानकारी और डेटा सहायता प्रदान करना।
- viii. पीएम-एबीएचआईएम के तहत निधियां जारी करने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को लागू करना।
- ix. आवंटित राज्यों के वार्षिक पीआईपी (पीआईपी) का मूल्यांकन करना, नोडल अधिकारियों को मसौदा/अंतिम टिप्पणियाँ प्रदान करना और एनपीसीसी की बैठकों में भाग लेना।
- x. पीएम-एबीएचआईएम के तहत राज्य की निधियों से राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के बैंक खातों में निधि अंतरण की निगरानी करना।
- xi. समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

4. आउटपुट

सभी कार्यों और जिम्मेदारियों पर समय पर कार्रवाई करना और प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/उपसचिव (एनएचएम-वित्त) को की गई और प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

5. योग्यताएँ और अनुभव

आवश्यक योग्यता:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एमबीए (वित्त)/सीए/पीजीडीबीएम (वित्त)/पीजीडीबीए (वित्त)।

सरकारी व्यवस्था में वित्तीय प्रबंधन संचालन, सरकारी लेखांकन, निधि प्रवाह प्रबंधन, उपयोग प्रमाणपत्र और योजना-वार व्यय रिपोर्टिंग में सामाजिक क्षेत्र, निजी या सरकारी क्षेत्र में कम से कम 6 वर्षों का अनुभव।

वांछनीय योग्यता:

लेखांकन पैकेजों के विकास, सिस्टम विश्लेषण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि में अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होगा। डेटा विश्लेषण में दक्षता सहित डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों/लेखा उपकरणों/सॉफ्टवेयर में अनुभव। सरकारी पीएफएमएस पोर्टल पर काम करने का अनुभव। एमएस-ऑफिस (विशेष रूप से

एक्सेल/पॉवरपॉइंट) में दक्षता।

6. आयु

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 60 वर्ष की आयु तक।

7. यात्रा और भत्ता

परामर्शदाता को राज्य/जिला/ब्लॉक/गाँव स्तरों तक व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी यात्राओं को निदेशक/ **उपसचिव** (एनएचएम-वित्त) द्वारा अग्रिम रूप से अधिकृत किया जाना चाहिए। यात्रा के दौरान, परामर्शदाता को बोर्डिंग/लॉजिंग खर्चों के लिए एनएचएसआरसी नियमों के अनुसार एक निश्चित प्रतिदिन भत्ता प्राप्त होगा।

8. रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

परामर्शदाता प्रत्येक तिमाही के अंत में निदेशक/ **उपसचिव** (एनएचएम-वित्त) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. परामर्श अवधि

प्रारंभ में, अनुबंध 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए होगा, लेकिन प्रदर्शन और प्रभाग की आवश्यकता के अधीन इसे बढ़ाया जा सकता है। पहले तीन महीने परिवीक्षा आधार पर होंगे। संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन, परामर्श सेवा पूरे एक वर्ष तक जारी रहेगी और अनुबंध को केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, GOI के विवेकानुसार आगे नवीनीकृत किया जा सकता है। हालांकि, लिखित में एक महीने का नोटिस देकर कोई भी पक्ष परामर्श सेवा को समाप्त कर सकता है।

10. वेतन

परामर्शदाता को योग्यता और अनुभव के आधार पर, जैसा कि भारत सरकार की संयुक्त चयन बोर्ड और अन्य नामित विषय विशेषज्ञों (यदि कोई हों) द्वारा निर्णय लिया जा सकता है, **₹. 90,000/- –1,50,000/-** प्रति माह की एकीकृत मासिक पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक का निर्धारण उस उद्देश्य के लिए खुली विज्ञापन के समय प्रचलित परिस्थितियों के आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय चयन/समीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

परामर्शदाता को परामर्श अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट लाभों के अलावा कोई अन्य लाभ जैसे सब्सिडी, मुआवजा या पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। परामर्शदाता कर से मुक्त नहीं होगा और प्राप्त पारिश्रमिक पर लागू वर्तमान नियमों के अनुसार लगाए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। परामर्शदाता का हालिया सीवी और पिछली परामर्श भुगतान प्राप्ति का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।

आवेदन कैसे करें: अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि एनएचएसआरसी की वेबसाइट (<http://nhsrcindia.org>) पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन को सही-सही भरें। आवेदन निर्धारित ऑनलाइन आवेदन प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **10-नवंबर-2026** है।

लिखित परीक्षा की शर्तें:

यदि भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल है, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 70% होंगे।